पटना उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 5291 वर्ष 2024

==

मेसर्स लॉर्ड विष्णु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 101, लोटस अपार्टमेंट, न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, थाना- पाटलिपुत्र, टाउन जिला पटना में स्थित है, इसके निदेशकों में से एक, अर्थात् रामकांत सिंह, पुरुष, उम्र लगभग 69 वर्ष, पिता राम खेलावन सिंह, निवासी न्यू गोदाम, महारानी रोड, थाना- गया, जिला- गया के माध्यम से ।

............याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. भारत संघ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव के माध्यम से।
2. बिहार राज्य, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना के आयुक्त-सह-सचिव के माध्यम से।
3. आयुक्त-सह-सचिव, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना।
4. उपायुक्त, राज्य कर, पटना सेंट्रल सर्कल-2, पटना।
5. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पटना सेंट्रल सर्कल-2, पटना।
6. सहायक आयुक्त, राज्य कर, पटना सर्कल, सर्कल-2, पटना।

..............प्रतिवादी/गण

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्रीमती अर्चना शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता
		श्री विशाल कुमार
भारत संघ के लिए	:	श्री अंशुमान सिंह, वरिष्ठ एससी, सीजीएसटी एवं सी एक्स
		श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, एसी से एएसजी

राज्य के लिए : श्री विकास कुमार, अधिवक्ता एस.सी-11

==

- ***माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 – पुनरीक्षण आवेदन – प्रक्रिया का अनुपालन*** *- केवल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। (पैरा-8) - यदि करदाता ने ईमेल जैसी वैकल्पिक विधियों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है, तो ऑनलाइन प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। (पैरा-9)*

- ***वसूली कार्यवाही – पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान स्थगन*** *- जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत यदि पुनरीक्षण आवेदन लंबित है, तो वसूली कार्यवाही स्थगित रहनी चाहिए। (पैरा-10) - करदाता की लंबित पुनरीक्षण याचिका को ध्यान में रखे बिना जारी किए गए मांग नोटिस निरस्त किए जाने योग्य हैं। (पैरा-11)*

- ***प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत – सुनवाई का अवसर -*** *किसी पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया आदेश कानूनी रूप से अस्थिर होता है।* ***(पैरा-12) -*** *कर विवादों के निर्णय में प्राधिकरणों को प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए।* ***(पैरा-13)***

- *निर्णय -* *दिनांक* ***31.10.2023*** *का विवादित आदेश रद्द किया गया, और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को पंजीकृत करें और सुनवाई करें।* ***(पैरा-14) -*** *जब तक पुनरीक्षण का निपटारा नहीं होता, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक वसूली कार्रवाई नहीं की जाएगी।* ***(पैरा-15)*** *संदर्भित मामले - भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम भारत संघ,* ***2021*** *एससीसी ऑनलाइन एससी* ***414 -*** *जीएसटी अधिनियम,* ***2017*** *– धारा* ***73(9)*** *एवं* ***108 -*** *भारतीय संविधान का अनुच्छेद* ***14***

मामले की टिप्पणी

- *यह मामला जीएसटी निर्णयों में प्रक्रियात्मक अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है और यह स्थापित करता है कि ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी कमियों का उपयोग किसी के मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय पुष्टि करता है कि कर प्राधिकरणों को विवेकपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों का*

प्रयोग करना चाहिए और यांत्रिक अस्वीकृति से बचना चाहिए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक: 03-03-2025

श्रीमती अर्चना, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा श्री अंशुमान सिंह, सी.जी.एस.टी और सी.एक्स के लिए वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता, और श्री विकास कुमार, राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को निम्नलिखित राहतों की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया है:

यह वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की जा रही है*:*

> i) प्रतिवादी राज्य कर आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना को यह निर्देश देने के लिए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 108 के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन को पंजीकृत करें, सुनवाई करें और निपटारा करें। यह पुनरीक्षण आवेदन प्रतिवादी उप-आयुक्त, राज्य कर, पटना सेंट्रल सर्कल-2,

पटना द्वारा 31.10.2023 को जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध वित्तीय वर्ष जुलाई 2017 से मार्च 2018 के संबंध में दायर किया गया है। उक्त पुनरीक्षण आवेदन 06.03.2024 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया क्योंकि प्रतिवादी विभाग के जीएसटी पोर्टल पर इसे अपलोड नहीं किया जा सका।

ii)प्रतिवादी उप-आयुक्त, राज्य कर, पटना सर्कल-2, पटना को यह निर्देश देने के लिए कि 31.10.2023 को जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत पारित विवादित आदेश की वसूली के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई या वसूली संबंधी उपाय न किए जाएं, जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा 06.03.2024 को ई-मेल के माध्यम से दायर पुनरीक्षण आवेदन लंबित है।

iii) दिनांक 31.10.2023 के आदेश तथा उसके अनुपालन में दिनांक 31.10.2023 को जारी फॉर्म डी आर सी -07 के माध्यम से जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत उठाई गई मांग को रद्द करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर निम्नलिखित देनदारियां लगाई गई हैं: ₹1,57,06,316/- (कर) ₹1,53,13,687/- (ब्याज) ₹15,78,940/- (दंड) चूंकि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए तथा स्पष्ट रूप अभिलेख त्रुटि के आधार पर पारित किया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। और/अथवा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता को जिस किसी अन्य राहत/राहतों का हकदार पाया जाए, उसे प्रदान करने के लिए।

3. रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन किया है। रिट में संशोधन की मांग करने वाले अंतर्वर्ती आवेदन के पैराग्राफ '10' में निम्नलिखित बयान दिए गए हैं:-

> *"7.* यह आगे विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता कंपनी के जीएसटी पोर्टल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार की नोटिस को 'नोटिस एवं आदेश'शीर्षक के अंतर्गत याचिकाकर्ता को कभी भी संप्रेषित नहीं किया गया। इसके विपरीत, वे 'अतिरिक्त नोटिस एवं आदेश'शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किए गए थे। इसलिए, जैसा कि रिट याचिका के पैरा *12* में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, चूंकि कोई भी नोटिस 'नोटिस एवं आदेश'शीर्षक के अंतर्गत अपलोड नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता को ऐसे नोटिसों की जानकारी नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों के इस कृत्य के कारण याचिकाकर्ता को इन नोटिस का उत्तर देने से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से अनुमति चाहता है कि वह अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए अपने जीएसटी पोर्टल का स्क्रीनशॉट अभिलेख पर लाने की अनुमति प्रदान करे, जिससे यह साबित हो सके कि सभी नोटिस 'अतिरिक्त नोटिस एवं आदेश' शीर्षक के अंतर्गत जारी किए गए थे, और इस माननीय न्यायालय से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की प्रार्थना करता है।"

<u>याचिकाकर्ता का मामला</u>

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने दिनांक 07.02.2020 को फॉर्म जी एस टी & सी एक्स में अपना वार्षिक रिटर्न दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत किया, कर की गणना की और उत्तरदायी कर राशि का भुगतान प्रतिवादी विभाग को किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने वित्तीय वर्ष 2017-18 के संबंध में समन्वय विवरण फॉर्म जी एस टी आर -9 सी दायर किया और भाग II (5), क्रमांक अ में अप्रैल 2017 से जून 2017 तक का टर्नओवर घोषित किया, जिसमें ₹7,13,19,888/- की राशि दर्शाई गई। चूंकि अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जी.एस.टी

अधिनियम) के लागू होने से पहले की थी, इसलिए यह राशि बिहार वैट अधिनियम, 2005 के अधीन कर योग्य थी।

5. याचिकाकर्ता का दावा है कि कंपनी ने अपने टर्नओवर की किसी भी राशि को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया था जिससे ताकि कर भुगतान से बचा जा सके। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि मार्च 2024 के पहले सप्ताह में याचिकाकर्ता को यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी संख्या 4, उप-आयुक्त, राज्य कर, पटना सेंट्रल सर्कल-2, पटना द्वारा दिनांक 31.10.2023 को जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत एक आदेश पारित किया गया था। इस आदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित कर की गलत गणना के आरोप एवं कुछ विसंगतियों को दर्ज करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी पर ₹3,25,98,914/- (जिसमें कर, ब्याज और दंड शामिल हैं) की कुल मांग अधिरोपित की गई। प्रश्नगत आदेश की प्रति तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उठाई गई मांग की प्रति क्रमशः अनुलग्नक पी/4 और पी/4-ए के रूप में अभिलेख पर लाई गई हैं। इन्हें रिट आवेदन में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि प्रतिवादी संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, पटना सेंट्रल सर्कल-2, पटना द्वारा 27.09.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी नहीं हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की ओर से कोई उत्तर दाखिल नहीं किया जा सका।

7. संशोधन याचिका दायर करके, याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया है कि विभाग के जीएसटी पोर्टल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार की नोटिस को 'नोटिस और आदेश शीर्षक के अंतर्गत याचिकाकर्ता को कभी संप्रेषित नहीं किया गया। बल्कि, इन्हें 'अतिरिक्त नोटिस

और आदेश'शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को इन नोटिसों की जानकारी नहीं मिल सकी।

8. याचिकाकर्ता का तर्क है कि चूंकि कोई नोटिस 'नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को ऐसे नोटिस जारी होने की जानकारी नहीं मिल सकी और परिणामस्वरूप, वह प्रतिवादियों को अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इस संदर्भ में संशोधन याचिका के पैरा संख्या '7' में किए गए दावों को प्रमाणित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने जीएसटी पोर्टल के स्क्रीनशॉट की छायाप्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है, जिसे अनुलग्नक P/8 के रूप में संलग्न किया गया है।

9. बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (B जी एस टी अधिनियम , 2017) की धारा 169(1) तथा दिनांक 31.10.2023 को धारा 73(9) के तहत पारित प्रश्नगत आदेश का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्नगत आदेश और मांग नोटिस पूर्ण रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं। अतः, ये निरस्त कर दिये जाने योग्य हैं।

10. याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष परिपत्र संख्या 128/47/2019-जी एस टी , दिनांक 23.12.2019 प्रस्तुत किया है, जिसे जीएसटी जांच शाखा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड , राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस परिपत्र के माध्यम से करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि किसी भी दस्तावेज़/नोटिस पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) अंकित होना अनिवार्य है। यद्यपि संशोधन याचिका में इस संदर्भ में एक दलील प्रस्तुत की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस चरण में यह प्रस्तुत किया है कि चूंकि यह परिपत्र केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं

सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी किया गया था और राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि इसे राज्य सरकार द्वारा अपनाया नहीं गया है, इसलिए वह इस चरण में इस मुद्दे पर फिलहाल जोर नहीं देंगी।

11. याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जो मामलाः **अनहद इम्पेक्स अपने पार्टनर और अन्य, अपने पार्टनर के माध्यम से बनाम सहायक आयुक्त वार्ड 16,** दिनांक 16 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था। इस निर्णय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह पाया कि याचिकाकर्ता को जारी नोटिस 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किए गए थे। अतः, न्यायालय ने यह राय दी कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित एक पक्षीय प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक है और याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने का एक अवसर दिया जाना चाहिए तथा उसके बाद नोटिस का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

12. याचिकाकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है। इस निर्णय में माननीय न्यायालय ने ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट कर संख्या 855/2024, दिनांक 22.07.2024 के मामले का उल्लेख किया। जिसमे न्यायालय ने पाया कि चूंकि नोटिस को 'उचित नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इसके परिणामस्वरूप, मामले को पुनर्विचार के लिए संबंधित प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया।

<u>राज्य सरकार की दलीलें</u>

13. श्री विकास कुमार, माननीय राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता संख्या 11 ने बहस का नेतृत्व किया।

14. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान जवाबी हलफनामे और अनुपूरक जवाबी हलफनामों में किए गए बयानों की ओर आकर्षित किया। हालांकि, स्थायी अधिवक्ता संख्या 11 ने यह स्वीकार किया कि जवाबी हलफनामे/अनुपूरक जवाबी हलफनामे में प्रतिवादियों द्वारा स्पष्ट और ठोस रूप से यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जारी नोटिस/कारण बताओ नोटिस विभागीय पोर्टल पर ‘नोटिस और आदेश’ शीर्षक के अंतर्गत अपलोड किए गए थे।

15. हालांकि, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि बीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 169 में यह अनिवार्य किया गया है कि कोई भी नोटिस नोटिस और आदेश अनुभाग के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यह प्रावधान है कि नोटिस और आदेश को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराकर तामील किया जा सकता है, उनका यह कहना है कि इस मामले में धारा 169 के अधिदेश का पालन किया गया है और याचिकाकर्ता को इस तथ्य का लाभ नहीं मिल सकता है कि नोटिस को 'नोटिस और आदेश' शीर्षक के तहत नहीं रखा गया था और उन्हें 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश' शीर्षक के तहत रखा गया था। इस संबंध में, उन्होंने चुनौती दी है

16. उन्होंने यह तर्क दिया कि नोटिस को याचिकाकर्ता को समुचित रूप से प्रेषित किया गया था क्योंकि इसे साझा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। इसके समर्थन में, अनुलग्नक आर-2/1 का हवाला दिया गया, जिसे स्वयं याचिकाकर्ता ने संलग्न किया है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करता है कि

कारण बताओ नोटिस और रिमाइंडर का अपलोडिंग मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पोर्टल के मुख्य 'नोटिस' अनुभाग के अंतर्गत किया गया था।

17. श्री अंशुमान सिंह, विभाग के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने श्री विकास कुमार, स्थायी अधिवक्ता संख्या-11 (एस.सी-11) द्वारा प्रस्तुत दलीलों का समर्थन किया।

<u>मूल्यांकन</u>

18. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना । इस रिट आवेदन में हम वर्तमान में जिस एकमात्र मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, वह यह है कि क्या अनुलग्नक '4' और '4/1' में निहित आक्षेपित आदेश और मांग नोटिस क्रमशः इस आधार पर रद्द किए जाने के लिए योग्य हैं कि याचिकाकर्ता को नोटिस / कारण दिखाएँ नोटिस और मांग आदेश विधिवत संप्रेषित नहीं दिए गए थे।

19. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सी.जी.एस.टी अधिनियम, 2017) की धारा 169 इस प्रकार है –

> (i) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संचार निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक द्वारा किया जाएगा, अर्थात्ः.
>
> (क) इसे सीधे या किसी दूत (जिसमें कूरियर भी शामिल है) के माध्यम से प्राप्तकर्ता, कर योग्य व्यक्ति, उसके प्रबंधक, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिवक्ता, कर व्यवसायी (जो कर योग्य व्यक्ति की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का अधिकार रखता हो), व्यवसाय से संबंधित नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति, या कर योग्य व्यक्ति के साथ निवास करने वाले किसी वयस्क पारिवारिक सदस्य को दिया या सौंपा जाए; या (ख) पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, या कूरियर द्वारा, जिसमें प्राप्ति की पावती

आवश्यक हो, उस व्यक्ति को भेजा जाए जिसके लिए यह अभिप्रेत है या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (यदि कोई हो) को, उसके अंतिम ज्ञात व्यवसाय स्थल या निवास स्थान पर; या (ग) पंजीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर संशोधित किए गए उसके ई-मेल पते पर संचार भेजकर; या

(घ) इसे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराकर; या

(ड.) उस स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करके, जहाँ कर योग्य व्यक्ति या वह व्यक्ति, जिसे यह जारी किया गया है, अंतिम बार निवास करता पाया गया हो, व्यवसाय करता हो, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता हो; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई भी विधि व्यवहार्य न हो, तो इसे उसके अंतिम ज्ञात व्यवसाय स्थल या निवास स्थान पर किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाकर, और यदि यह भी किसी कारणवश संभव न हो, तो इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर, जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया हो या ऐसा समन या नोटिस जारी किया हो।

(2) प्रत्येक निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या कोई अन्य संचार उस तिथि को दिया गया माना जाएगा, जिस तिथि को इसे सौंपा गया हो, प्रकाशित किया गया हो, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से उसकी एक प्रति चिपकाई गई हो।

(3) जब ऐसा निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या कोई अन्य संचार पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, तो इसे उस अवधि की समाप्ति पर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जो सामान्यतः ऐसी डाक के परिवहन में लगती है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए।"

20. एक समान मुद्दा, कि क्या 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत सामान्य पोर्टल पर डाला गया नोटिस निर्धारण योग्य व्यक्ति को विधिवत रूप से दिया गया माना जा सकता है या नहीं, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष **अनहद इंपेक्ष इंपेक्स (उपरोक्त)** मामले में विचाराधीन था। न्यायालय

ने पाया कि कारण बताओ नोटिस पोर्टल पर 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश'की श्रेणी में अपलोड किया गया था, जो आसानी से सुलभ नहीं था, जिसके कारण याचिकाकर्ता का इस पर ध्यान नहीं गया। माननीय न्यायालय ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह मामला प्रस्तुत किया कि उसने नोटिस प्राप्त करने से चूक होने के वजह से कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दे सका, प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.11.2023 को रद्द कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर दाखिल करने की अनुमति दे और उसके बाद उक्त कारण बताओ नोटिस का अधिनिर्णयन करे।

21. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ओला फ्लीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। इसी सिद्धांत का पालन ***मेसर्स सुदर्शन बीओपर कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और 3 अन्य मामले में किया गया, जो 2025 एएचसी 3854-बी डी*** में रिपोर्ट किया।

22. हमने अभिलेख पर प्रस्तुत पोर्टल के स्क्रीनशॉट से पाया कि पोर्टल पर करदाता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

> "कर अधिकारियों द्वारा जारी निम्नलिखित नोटिस/आदेश 'नोटिस और आदेश' के अंतर्गत उपलब्ध हैं*:*
>
> - पंजीकरण से संबंधित नोटिस/आदेश/सूचनाएँ, जिसमें नया पंजीकरण, संशोधन, रद्दीकरण, पुनर्वापसी और अन्य संचार शामिल हैं।
> - प्रणाली द्वारा जी एस टी आर *-3* अ फ़ॉर्म में रिटर्न जमा न करने वालों को जारी किए गए नोटिस।

- टर्न मॉड्यूल से संबंधित नोटिस, जिसमें जी एस टी डी आर सी *-01* बी और जी एस टी डी आर सी *-01* सी शामिल हैं।
- जी एस टी डी आर सी *-07* फ़ॉर्म में जारी किए गए मूल्यांकन आदेशों का सारांश, जहाँ नोटिस और अन्य कार्यवाहियाँ ऑफलाइन आयोजित की गई थीं।"

2. कर अधिकारियों द्वारा जारी निम्नलिखित सूचनाएं/आदेश "अतिरिक्त सूचनाएं और आदेश" के तहत उपलब्ध हैं:-

- अधिसूचना/आदेश-अग्रिम निर्णय, अपील, मूल्यांकन/निर्णय, लेखा परीक्षा, प्रवर्तन, अभियोजन और चक्रवृद्धि, वसूली, एल.यू.टी. आदि।

3. रिफंड मॉड्यूल से संबंधित नोटिस/आदेश संबंधित एआरएन (आवेदन संदर्भ संख्या) के केस विवरण पृष्ठ में दिखाए जाएंगे। कृपया 'सेवाएँ> उपयोगकर्ता सेवाएँ> मेरा आवेदन' पर जाएँ और आवेदन प्रकार के तहत ए.आर.एन. को 'रिफंड' के रूप में चुनें।

23. इस मामले में, हमने यह भी देखा कि धारा 169 नोटिस/समन/आदेश/अन्य संचार की सेवा (सर्विस) के तरीकों को निर्धारित करती है। उपधारा (ड़) में सेवा के एक तरीके के रूप में इसे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हम उपधारा (2) और उपधारा (3) के अध्ययन से यह पाते हैं कि विधायिका ने उन मामलों में नोटिस की अनुमानित सेवा का प्रावधान किया है, जहाँ नोटिस, समन, आदेश या निर्णय को सौंपकर, प्रकाशित करके, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से चिपका कर सेवा प्रदान की गई हो।

24. पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए नोटिस, समन या किसी अन्य संचार को, जब तक इसके विपरीत प्रमाणित न किया जाए, सामान्यतः डाक के परिवहन में लगने वाली अवधि की समाप्ति पर प्राप्त मान लिया जाएगा। बहस के दौरान यह प्रश्न उठा कि क्या करदाता को हर दिन सामान्य पोर्टल पर जाकर यह जांचना आवश्यक है कि उसके संबंध में कोई नोटिस, समन या संचार जारी किया गया है या नहीं। इस संदर्भ में यह विचार किया गया कि जब नोटिस को सामान्य पोर्टल पर डाला जाता है, तो निर्धारिती को इसकी जानकारी देने के लिए उसके पंजीकृत ई-मेल पते पर साथ ही एक ई-मेल भेजा जाना चाहिए, जिससे उसे नोटिस की उपलब्धता के बारे में सुगमता से पता चल सके। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निस्संदेह धारा 169 की उपधारा (1) के खंड (इ) में सामान्य पोर्टल पर नोटिस/संचार डालने के माध्यम से सेवा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसे अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाने तथा करदाता को उचित रूप से नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने के लिए विभाग को साथ ही करदाता के पंजीकृत ई-मेल पते पर नोटिस की एक प्रति भेजनी चाहिए। इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि यदि विधि सामान्य पोर्टल पर नोटिस डालने को विधिपूर्ण सेवा के रूप में मान्यता देती है, तो विभाग को धारा 169(1) के तहत अन्य किसी अतिरिक्त संचार माध्यम को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

25. इस न्यायालय की राय में, नोटिस की सेवा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता को विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस, समन, आदेश, निर्णय, या अन्य संचार की जानकारी प्राप्त हो। इसलिए, इस पहलू पर विभाग को विचार करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नोटिस विधिवत रूप से दिए जा रहे हैं। फिलहाल, न्यायालय इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है और

इसे किसी उपयुक्त मामले में विचार हेतु खुला रखा जा रहा है। इस बीच, यदि उचित समझा जाए, तो विभाग इस पर अपना दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर सकता है।

26. चूंकि हमने पाया है कि वर्तमान मामले में यह दावा किया गया है कि नोटिस/कारण बताओ/अनुस्मारक सभी को 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था और रिकॉर्ड पर रखे गए स्क्रीनशॉट को प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है और प्रति शपथ पत्र/पूरक प्रति शपथ पत्र में कोई विशेष कथन नहीं है कि नोटिस/कारण बताओ/संचार को सामान्य पोर्टल पर 'नोटिस और आदेश' शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने हस्तक्षेप का मामला बनाया है। न्याय के उद्देश्य से यह अपेक्षित है कि अनुलग्नक-4 और 4/1 में निहित विवादित आदेश को रद्द किया जाए और हम तदनुसार ऐसा करते हैं।

27. याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित होगा और कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब ऐसी सभी सामग्रियों के साथ प्रस्तुत करेगा, जिन्हें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने की सलाह दी जा सकती है। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 सुनवाई की तारीख तय करेगा और याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को सुनने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 मामले की सुनवाई की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर मूल्यांकन का एक नया आदेश पारित करेगा। तदनुसार, इस रिट आवेदन को ऊपर बताए अनुसार अनुमति दी जाती है।

28. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने तर्कों के गुण-दोष में प्रवेश नहीं किया है और वर्तमान में किसी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

(रमेश चन्द मालवीय, न्यायामूर्ति)

सनी कर/-